

फर्दे अहकाम

(विधायक (26))

अज अदालत पुनरागत अधिकारी शिकराय

सरकार बनाम चम्मन / मन्तो

किस्म मुकदमा दावा मु० नं० 59/22

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

2.3.22

दावा अधिवक्ता रामचंद्र वेण्णाळ द्वारा पेशा दर्ज कर तलबी की जावे। गान्ते तलवाळ तामील दि० 11.3.22 को पेशा हो।

11/22

पजावली पेशा। ~~व्यक्त~~ स्टेट नोटिस तामील होकर प्राप्त। परि. सं. 1 व 2 के फॉर्म होने व कोई वारिस नहीं होने की तामील रिपोर्ट प्राप्त। वाद के तथ्यों का अवलोकन किया गया। वाद अनुसार ग्राम शिकराय के खाला सं. 95 की वादीगण के पिता किशनलाल के नाम दर्ज हो व परि. सं. 1 व 2 के राहिन दर्ज हैं। राज. काश्तकारी आधी. के आग्रधानों अनुसार, मिली व्याप्ति डारा अधिक्ताम 15 वर्ष तक ही भूमि राहिन रखी जा सकती है। पश्चात भूमि के राहिन की उम्त अवाधी की व एक अर्सा हो चुका है। अब: ग्राम शिकराय के खाला सं. 95 की भूमि परि. 1 व 2 के राहिन मुम्त डोषित की जाती है। मुवाफिक आदेश। डिप्टी व तलबी जारी होकर पजावली फैसल शुमार हो।

(हस्ताक्षर)
11.3.22
उपजज विधायक
शिकराय (बोला)